



348

1
120/2017

ई0पी0सं0-11-10

क्रमांक-120/2017

आरबीई सं0-57/2017

सं0 ई/207/1/भाग-24/चार

सचिव/महाप्रबन्धक

सचिव/अपर महाप्रबन्धक

सभी विभागाध्यक्ष

सभी मण्डल रेल प्रबन्धक

सभी कार्मिक अधिकारी

सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक

सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना

पूर्वोत्तर रेलवे।

दिनांक 03-07-2017

विषय:- अनुग्रह भुगतान प्राप्त करने वाले सीपीएफ लाभार्थियों को महंगाई राहत प्रदान करना-संशोधित दर 01.07.2016 तथा 01.01.2017 से प्रभावी होगी।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 पीसी-V/2009/ए/डीआर/1 दिनांक 14.06.2017 की अंग्रेजी एवं हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

03.07.17
(ए0 के0 सिंह)

उपमुकाधि/अराज.

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- अध्यक्ष, पूर्वोत्तर रेलवे पेंशनर्स एसोसियेशन 18, जाहिद अली क्वार्टर, मेडिकल रोड शाहपुर, पो0-गीतावाटिका शाहपुर, गोरखपुर-273006
- 7- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

03.07.17
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

2
12/06/2017

S.No. PC-VII/ 21166
No. PC-V/2009/A/DR/1

RBE No. 57/2017
New Delhi, dated 14.06.2017

The General Managers/ CAO(R),
All Indian Railways & PUs
(As per standard mailing list)

N.E.Riy

Sub:-Grant of Dearness Relief to CPF beneficiaries in receipt of ex-gratia payment- revised rates w.e.f 01.07.2016 and 01.01.2017.

A copy of Office Memorandum No.42/15/2016-P&PW(G), dated 12.05.2017 of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Pension & Pensioners' Welfare) on the above subject is sent herewith for your information and necessary action.

2. In pursuance of the enhanced rates of ex-gratia to the surviving SRPF(C) retirees issued vide Board's letter No. F(E)III/98/PN1/Ex-Gr./3 dated 15.11.2006, para 1(i) of DoP&PW's O.M dated 12.05.2017 may be read as under:-

"The surviving Group 'A', 'B', 'C' and 'D' SRPF (Contributory) beneficiaries who had retired from service during the period from 01.04.1957 to 31.12.1985 and have been sanctioned enhanced slab-wise ex-gratia @ ₹ 3000/-, ₹ 1000/-, ₹ 750/- and ₹ 650/- per month respectively w.e.f 01.11.2006, in lieu of uniform rate of ₹ 600/- p.m are entitled to Dearness Relief at the following rates:-

Date	Rate of Dearness Relief
01.07.2016	256%
01.01.2017	264%

3. A concordance of various instructions and orders referred to in the enclosed office memorandum with reference to corresponding Railway instructions is indicated below :-

S.No.	Para No. and Date of OM	No. and date of Deptt. of Pension & Pensioners' welfare's O.M.	No. & date of Corresponding orders issued by Railway Board.
1.	Para-1 of OM dt. 12.05.2017	OM No.42/06/2016-P&PW (G) dated 03.05.2016.	PC-V/2009/A/DR/1 dated 28.02.2017.
2.	Para-1(i) of OM dt. 12.05.2017	OM No. 45/52/97-P&PW (E) dt. 16-12-97	F(E)III/97/PN1/EX-Gr/3 dated 31.12.1997

4. It will be the responsibility of the pension disbursing authorities, including the nationalized banks, etc.to calculate the quantum of DR payable in each individual case.

5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

6. Hindi version is enclosed.

DA: As above

(N.P.Singh)

Dy.Director, Pay Commission - V
Railway Board

471

551

R
21.6

3
12/06/17

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

क्र.सं. पीसी-VIII/ 21
सं. पीसी-V/2009/ए/डी आर/1

आर बी ई सं. 57/2017
नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2017

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलवे)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां,
(मानक डाक सूची के अनुसार)

विषय:- अनुग्रह भुगतान प्राप्त करने वाले सीपीएफ लाभार्थियों को महंगाई राहत प्रदान करना
- संशोधित दर 01.07.2016 तथा 01.01.2017 से प्रभावी होगी।

उपर्युक्त विषय पर कार्मिक, जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग) के 12.05.2017 के का.जा. सं.42/15/2016-पी एण्ड पी डबल्यू (जी) की प्रतिलिपि आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इस पत्र के साथ भेजी गई है।

2. बोर्ड के दिनांक 15.11.2006 के पत्र सं. एफ (ई) III/98/पीएन 1/एक्स ग्रे/3 के माध्यम से जीवित एसआरपीएफ (सी) के सेवानिवृत्त व्यक्तियों को अनुग्रह राशि की बढ़ी हुई दरों का भुगतान करने के अनुसरण में पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के दिनांक 12.05.2017 के कार्यालय जापन का पैरा 1(i) निम्नानुसार पढ़ा जाए:

“ग्रुप ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’ और ‘डी’ के ऐसे जीवित एस आर पी एफ (अंशदान) लाभार्थी जो 01.04.1957 से 31.12.1985 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए हों और जिन्हें 600/- रुपए प्रति माह की एकसमान दर के स्थान पर 01.11.2006 से प्रति माह क्रमशः 3000/- रुपए, 1000/- रुपए, 750/- रुपए और 650/- रुपए की दर पर संवर्धित स्लैब-वार अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है, निम्नलिखित दरों पर महंगाई राहत पाने के हकदार होंगे:-

दिनांक	महंगाई राहत की दर
01.07.2016	256%
01.01.2017	264%

- 120/2017
3. संलग्न कार्यालय जापन में उल्लिखित विभिन्न अनुदेशों तथा आदेशों के अनुसार रेलवे के अनुदेशों को नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	का.जा. का पैरा नंबर तथा तारीख	पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग के का.जा. का नंबर तथा तारीख	रेलवे बोर्ड द्वारा जारी तदनुसूची आदेशों का नंबर तथा तारीख
1.	12.05.2017 के कार्यालय जापन का पैरा-1	03.05.2016 के का.जा.सं.42/06/2016-पी एण्ड पी डबल्यू (जी)	28.02.2017 का पीसी-V/2009/ए/डीआर/1
2.	12.05.2017 के कार्यालय जापन का पैरा-1(i)	16.12.97 का का.जा.सं. 45/52/97-पी एण्ड पी डबल्यू (ई)	31.12.1997 का पत्र सं.एफ(ई) III/97/पीएन1/ई एक्स-ग्रे/3

4. राष्ट्रीकृत बैंकों आदि सहित पेंशन संवितरण करने वाले प्राधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक मामले में देय महंगाई राहत की राशि का आकलन करेंगे।

5. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोक्त

(एन.पी. सिंह)

उपनिदेशक, वेतन आयोग-V

रेलवे बोर्ड